2018/00285

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

गुड्डी बाई बनाम ओमप्रकाश

किस्म मुकद्दमा धारा-225 मि. नं. 137/2016 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट हरिओम चतुर्वेदी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/3/24	पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी महोदय का स्थानान्तरण हो जाने के कारण पूर्वानुसार पत्रावली वास्ते तलबी/बहस हेतु दिनांक 18.3.24 को पेश हो । (हस्ताक्षर) रीडर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	R-2 लगा० 4 तलबीशुदा
18.3.24	पत्रावली पेश हुई । श्रीमान् पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य से बाहर/अवकाश पर है । पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15.4.24 को पेश हो । (हस्ताक्षर) रीडर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	अग्र 15.4.24
15.4.24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक अपीलांट व अपीलांट को रुक-रुक कर तीन बार आवाजें लगवायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपि० अपीलांट द्वारा रेस्पो क्र. 2 लगा० 4 की तामील रजिस्टर्ड एडी० आदिनांक तक नहीं करवायी गयी है। अत: अपीलांट एवं उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) **(ममता कुमारी तिवारी)** **भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन** **राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**	

6.8.2018

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

S.D.O. कोटा
का प्र०सं० 43/2016
नि०दि० 23.7.2018

प्रस्तुतकर्ता
श्री नरेन्द्र गुप्ता एडवोकेट

SO
27.7.2018

1- गुड्डीबाई पत्नि राजेन्द्र कुमार जी, जाति मीणा, निवासी मुण्डला बिसोती, तहसील अटरू, जिला बारां

2- प्रीतमबाई पत्नि महेन्द्र कुमार जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम मुण्डला बिसोती, तहसील अटरू, जिला बारां

----- अपीलान्टस

-: बनाम :-

1- ओम प्रकाश आत्मज लक्ष्मीनारायण जी, जाति महाजन, निवासी ग्राम बराना हाल निवासी मकान नम्बर 241 महावीर नगर सेकण्ड कोटा

2- चतर्भुज आत्मज नामालुम, जाति महाजन, निवासी ग्राम मुण्डला, तहसील व जिला बारां

3- स्व० रमेशचन्द्र आत्मज मिश्रीवन तथाकथित दत्तक पुत्र मोतीलालजी जाति गुसाई, निवासी कुजावा, तहसील अटरू, जिला बारां कायम मुकामान -

3(1) कृष्णगोविन्द गोस्वामी पुत्र स्व० श्री रमेशचन्द्र, जाति गुसाई, निवासी कुजावा, तहसील अटरू, जिला बारां

3(2) विजय शंकर गोस्वामी आत्मज स्व० रमेशचन्द जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम कुजावा, तहसील अटरू, जिला बारां

3(3) महेन्द्र गोस्वामी पुत्र स्व० रमेशचन्द्र, जाति गुसाई, निवासी ग्राम कुजावा, तहसील अटरू, जिला बारां

3(4) भरत आत्मज स्व० रमेशचन्द्र, जाति गुसाई, निवासी ग्राम कुजावा, तहसील अटरू, जिला बारां

3(5) यशोदा पुत्री स्व० रमेशचन्दजी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम कुजावा, तहसील अटरू, जिला बारां

112

3(6) सावित्री पुत्री स्व० रमेशचन्दजी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम छजावा, तहसील अटरू, जिला बारां

3(7) श्रीमति रामदुलारी पत्नि स्व० श्री रमेशचन्द जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम छजावा, तहसील अटरू, जिला बारां

4- राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

--- रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 बनाराजी आदेश दिनांक 23-7-2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां बउनवानी मुकदमा ओमप्रकाश वगैरह बनाम रमेशचन्द्र वगैरह प्रकरण संख्या 43/16

मान्यवर,

अपीलान्टस निम्न निवेदन करते है :-

1- यह कि हुक्म जेर अपील कानून, न्याय एवम् तथ्यों के सर्वथा विपरीत है।

2- यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पो० नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर विवादित कृषि आराजीयात ग्राम बराना, तहसील बारां की खसरा नम्बर 342 की 1.90 हेक्टर भूमि के सम्बन्ध में वादी रेस्पो० नं० 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाने में त्रुटि की है कि उपरोक्त आराजी में वादी रेस्पो० नम्बर 1 के तथाकथित कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण अपीलान्टस न तो स्वयम् दखलन्दाजी करे और न ही करवाये। वादी रेस्पो० नम्बर 1 को काबिज बने रहने दिया जावे तथा विवादित आराजी का रहन, बेचान, भारबन्धक न करे न अन्य प्रकार से मुन्तकिल ही करे तथा उक्त आराजी को तृतीय पक्ष हित में अन्तरण न करे।